(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड (I) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

सार्वजनिक सूचना सं. 12 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 12 जुलाई, 2021

विषयः प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 2.96 (ख) और एएनएफ 2ग में संशोधन–विनियामक अनुपालन बोझ को कम करने के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के एएनएफ अध्याय–2 के पैरा 2.96(ख) को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

पैरा सं.	विवरण	संशोधित पैरा
प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 का 2.96(ख)	निर्यातक संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी को विभिन्न वस्तुओं के अपने निर्यात की तिमाही विवरणी/विवरण प्रस्तुत करेगा। तथापि, स्थिति धारक फियो को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में तिमाही विवरणी भी भेजेगा।	–हटा दिया गया--

2. इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के एएनएफ–2ग की क्रम सं. 9(घ) जिसमें निर्यात की मासिक विवरणियां प्रस्तुत करने का अधिदेश है जिनमें अगले माह के 15वें दिन तक पंजीकरण प्राधिकारी को 'शून्य' विवरणियां प्रस्तुत करना शामिल है, को हटाया जाता है और एएनएफ 2ग के यथा संलग्न संशोधित प्रारूप को अधिसूचित किया जाता है।

3. सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्रक्रिया पुस्तक अध्याय 2 के पैरा 2.96 (ख) को हटाया गया है और एएनएफ 2ग के संशोधित प्रारूप विनियामक अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए उठाए गए कदम के रूप में अधिसूचित किया गया है।

अमित यादव
12/07/2021
(अमित यादव)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/37/एएम–20/पीसी–2(ए)/ई–26575 से जारी)

अनुलग्नक

एएनएफ 2ग

पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

____

____

____

(परिषद का नाम और पता)

महोदय,

कृपया हमें निम्नलिखित निर्यात उत्पाद (उत्पादों) के निर्यात करने वाले व्यापारी निर्यातक/विनिर्माता निर्यातक/व्यापारी सह विनिर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकृत करें।

1. 1. आवदेक का नाम : ____________________________

2. (i) आवेदक का पता (लिमिटेड कंपनियों के मामले में पंजीकृत कार्यालय, तथा अन्य हेतु मुख्यालय) : ____________________________

(ii) शाखाओं यदि कोई हो, का नाम और पता : ____________________________

(iii) फैक्ट्री का नाम और पता ____________________________

3(i) (ii) (iii)	आईईसी संख्या जारी करने की तिथि जारीकर्ता प्राधिकारी	:	________ ________ ________
4.	भुगतान का विवरण	:	
5क	यदि विनिर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकरण अपेक्षित हो, (एसएसआई पंजीकरण/औद्योगिक लाइसेंस / आईईएम)	:	सं. ________ दिनांक ________ जारी करने वाला प्राधिकारी ________
ख	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	:	________
ग	ईएच/टीएच/एसटीएच/एसएस टीएच/एसएचई/आइएसईएच/ आईएसएसईएच/ आईएसएसईएच प्रमाण पत्र संख्या		वैधता तिथि ________
6.	यदि स्थिति धारक हों (श्रेणी)	:	प्रमाण पत्र सं. ________ वैधता तिथि ________
7.(क)	निर्यात उत्पाद (उत्पादों) का नाम	:	

	अथवा इनकी श्रेणी जिनके लिए पंजीकरण अपेक्षित है		________________
(ख)	आवेदक का मुख्य व्यापार	:	
8.	मै एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूं कि उपर्युक्त सूचना ठीक और सही है और मैं विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1992 ओर विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत प्रावधानों का पालन करते हेतु वचनबद्ध हूं।		
9.	मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषित करते हैं कि उपर्युक्त उल्लिखित सूचना ठीक और सही है। मैं/हम बिना किसी आपत्ति के निम्नलिखित हेतु वचनबद्ध है:– (क) हमारे समस्त निर्यात हेतु हमें जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तो के अनुपालन हेतु (ख) विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी आचार संहिता का पालन करने हेतु सहमति (ग) पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाने वाली निर्यात आधार मूल्य शर्त का पालन करने हेतु सहमति		
10.	हम आगे यह समझते है कि उपर्युक्त उल्लिखित किसी वचनबद्धता का पालन न करने पर हमारा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।		
11.	मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूं कि मैंने हमारे मुख्य व्यापार से संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद में आवेदन किया है। यदि मैंने किसी अन्य परिषद में आवेदन किया है तो आवेदन प्रक्रिया पुस्तक के **पैरा 2.09** के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।		

स्थान:

दिनांक:

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

नाम ________________

पता ________________

____

पद ________________

ई–मेल ________________

मोबाइल नं. ________________

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज:

1. संबंधित लाइसेंसिग प्राधिकारी द्वारा जारी आईईसी की स्वयं प्रमाणित प्रति।